

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/07- (एक)/2019/ ८१६  
दिनांक : १३-११-१९

सेवा में,

प्रबन्धक,  
श्री बासुदेव प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान,  
गुतवन, जौनपुर।

विषय : स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या— 1103 (1) / सत्तर-6-2014-2(97) / 2014, दिनांक-01 अगस्त, 2014, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में श्री बासुदेव प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, गुतवन, जौनपुर को स्वित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय) में 50 सीटों (01 यूनिट) की प्रवेश क्षमता सहित सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक— 01.07.2019 से सम्बद्धता की स्थीकृति प्रदान कर दी गयी है :-

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक—02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या—5267 / 70-2-2005-2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या— 5125 / 70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. महाविद्यालय / संस्थान द्वारा बी०ए० पाठ्यक्रम में शासन / एन०सी०टी०ई० जयपुर द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षणिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में समिलित एवं काऊंसलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि आदि में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
7. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450 / सत्तर-2015-16 (33) / 2015, दिनांक—12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
8. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण-पत्र, अग्रिमशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होंगी।
9. A.I.S.H.E. के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन समस्त अग्रिम वर्षों के अन्तर्गत।
10. सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क का भुगतान अग्रिम वर्षों के अन्तर्गत।
11. N.C.T.E के मूल पत्र के सत्यापन के अन्तर्गत।
12. महाविद्यालय समय-समय पर शासन / एन०सी०टी०ई० एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करेगा।
13. महाविद्यालय उपरोक्त समस्त निर्देशों का पालन करेंगा अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय,

०४/११/१९  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ०प्र० इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारत सरकार। जी-7, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. अधीक्षक (शैक्षणिक) कार्यपरिषद की आगामी बैठक में संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
7. टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव